अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2019 (RCMS 2019/00102) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

23.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. राजस्व लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 617 दिनांक 17.01.2019 में जो संयुक्त निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को लिखा गया है । इसमें प्रार्थी ने जिस पत्र को जिस कर्मकार से जिस दिवस व जिस समय पर लेने से मना किया है, उस कर्मकार का नाम, इन्कारी का दिन, समय व पत्रांक का क्रमांक व पत्रांक की विषय वस्तु सहित सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य व दो गवाहों के हस्ताक्षर की, प्रार्थी ने पत्रांक को लेने से मना किया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक न्याय/2019/234 दिनांक 22.04.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत में आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार से है। उक्त सूचना जमादार के तामील रजिस्टर में दर्ज क्रमांक 227 से 229 दिनांक 16.01.2019 को दर्ज कर श्री महावीर प्रसाद सवार को दी गई थी। श्री महावरी प्रसाद, सवार के द्वारा दिनांक 16.01.2019 के अदम तामील लेने से इंकार कि रिपोर्ट कर श्रीमान् तहसीलदार के रीडर शाखा के द्वारा श्रीमान् राज्य लोक सेवा अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगागनर को मूल ही भिजवा दी गई थी। तामील करवाने के लिए 3 दिवस का समय होता है। वो कभी भी किसी समय तामील करवा सकता है। जिसका कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं होता है एवं मूल रिकॉर्ड तामील करवाने के बाद संबंधित विभाग को भिजवा दिया जाता है। रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, **उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर